

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग

मुख्य अभियंता (यॉ0), जल संसाधन विभाग

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 11/10/18

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

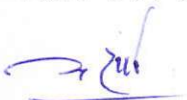
वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

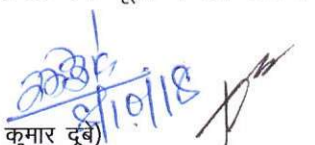
क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	1271.690

कुल आवंटित राशि -

रुपये बारह करोड़ एकहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध राशि ₹ 8354.05 लाख (तिरासी करोड़ चौवन लाख पांच हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि. 09.05.2016 2747(वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15. 11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसंबर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

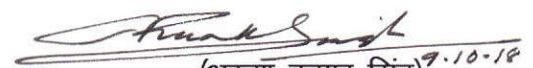

(अरुण कुमार सिंह) 9.10.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 69

राँची, दिनांक :- 11/10/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

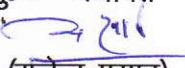

(अरुण कुमार सिंह) 9.10.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 69

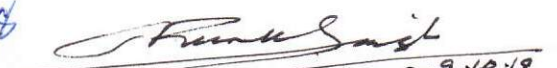
राँची, दिनांक :- 11/10/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 10.10.18
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सशाल पराना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 69 दिनांक 14/10/18 का अनुलंक

परिशिष्ट 1

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2018-2019	विरुदा शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते												विरुदा शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय												विरुदा शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												विरुदा शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां				विरुदा शीर्ष-07-विधि प्रसार				राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		कार्यालय का नाम	विभाग कोड	वेतन	पूर्व का वेतन	15.11.2000 के अनुसार	एल०पी०सी०	व्यय	देशीय यात्रा	कार्यालय व्यय	किराया, देय कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरुदा व्यय	इंजन एवं मोटरगाड़ियां	अन्य व्यय	विधि प्रसार																													
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																															
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	48.000 87.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.800	0.300 0.600	0.000 0.000	1.000 1.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.500 1.000	0.500 1.000	0.050 0.050	49.200 90.550																																
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, इजराबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	42.000 8.000	0.000 0.000	0.300 0.800	0.300 0.700	0.000 0.000	0.000 0.500	0.100 0.300	0.000 0.000	0.500 1.000	0.500 1.000	0.000 0.000	43.200 11.800																																	
3	औरंगा निर्माण अवल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	65.000 30.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.250 0.350	0.000 0.000	0.250 0.250	0.000 0.250	0.050 0.100	0.000 0.000	0.400 0.600	0.400 0.200	65.900 31.500																																	
4	कदवन बांध अवल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	78.000 17.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.250 0.350	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.100	0.000 0.000	0.400 0.600	0.400 0.200	78.900 18.250																																		
5	जलपथ अवल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	58.000 16.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.250 0.400	0.000 0.000	0.000 0.250	0.050 0.150	0.000 0.000	0.400 0.700	0.400 0.000	58.900 17.500																																		
6	रूपकाण आयोजन एवं मोहिो अवल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	72.000 34.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.250 0.400	0.000 0.000	0.000 0.250	0.050 0.100	0.000 0.000	0.400 0.700	0.400 0.150	72.900 36.800																																		
7	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	41.000 29.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.000	0.000 0.000	0.300 0.400	0.300 0.100	41.750 29.900																																		
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	108.000 45.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.200 0.350	0.000 0.000	0.000 0.250	0.050 0.100	0.000 0.000	0.700 0.450	0.300 0.300	108.750 46.950																																		
9	आयोजन एवं मोहिो प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	128.000 72.100	0.000 0.000	0.200 0.400	0.200 0.350	0.000 0.000	0.000 0.250	0.000 0.000	0.050 0.000	0.300 0.500	0.000 0.200	128.700 73.850																																		
10	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाकी पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	113.000 24.100	0.000 0.000	0.200 0.300	0.200 0.350	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.100	0.000 0.000	0.800 0.200	0.200 0.000	113.450 25.050																																		
		अवशेष आवंटन	137.100	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.200	138.500																																	

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिव्यक्ति)

(रमेश कुमार दूध)
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

9.10.18

(अरुण कुमार सिंह)
आपर मुख्य सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
आपर मुख्य सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2018-2019	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	अभिव्यक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एगोटी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर-कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मोटरगाड़ियां										
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
22	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	222.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	222.750							
		अतिरिक्त आवंटन	53.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.800	0.250	0.150	0.000	0.400	0.500	0.200	55.850							
23	पुनर्वास पदार्थ उद्योग परियोजना, मेदिनीनगर	अवतन आवंटन	275.000	0.000	0.000	0.400	0.550	0.800	0.250	0.200	0.000	0.400	0.800	0.200	278.600							
		पूर्व का आवंटन	71.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	71.450							
24	यांत्रिक प्रमंडल, बनासी हजारीबाग	अतिरिक्त आवंटन	64.000	0.000	0.000	0.100	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	64.950							
		अवतन आवंटन	135.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.250	0.050	0.000	0.100	0.000	0.200	136.400							
25	रूपकाण एवं मोनिंग प्रो. हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	152.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	152.700							
		अतिरिक्त आवंटन	18.000	0.000	0.000	0.500	0.350	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.500	0.400	19.900							
26	रूपकाण एवं मोनिंग प्रो. हजारीबाग	अवतन आवंटन	170.000	0.000	0.000	0.700	0.550	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.800	0.400	172.600							
		पूर्व का आवंटन	31.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	31.450							
27	रूपकाण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	31.000	0.000	0.000	0.700	0.550	0.000	0.250	0.000	0.000	0.200	0.000	0.300	1.600							
		अवतन आवंटन	206.000	0.000	0.000	0.500	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	206.200							
28	रूपकाण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	76.900	0.000	0.000	0.500	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	77.850							
		अवतन आवंटन	282.900	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	284.050							
29	विशेष मू-अर्जन पदार्थ उद्योग कोयला पश्चिम मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	239.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	239.450							
		अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.300	26.400							
30	वित्त पदार्थ, स्वर्णरिखा पश्चिम, जमशेदपुर	अवतन आवंटन	264.000	0.000	0.000	0.700	0.450	0.000	0.250	0.050	0.000	0.100	0.000	0.300	265.850							
		पूर्व का आवंटन	61.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61.400							
31	विशेष मू-अर्जन पदार्थ उद्योग कोयला पश्चिम मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.500	0.200	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	11.300							
		अवतन आवंटन	71.000	0.000	0.500	0.400	0.550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	72.700							
32	सिंचाई प्रमंडल, बुड़	पूर्व का आवंटन	138.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	138.750							
		अतिरिक्त आवंटन	19.500	0.000	0.000	0.400	0.350	0.000	0.250	0.050	0.000	0.000	0.450	0.250	21.250							
33	सिंचाई प्रमंडल, बुड़	अवतन आवंटन	157.500	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.750	0.250	160.000							
		पूर्व का आवंटन	305.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	305.450							
34	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	90.000	0.000	0.000	0.300	0.350	0.000	0.000	0.100	0.000	0.400	0.000	0.400	91.550							
		अवतन आवंटन	395.000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.150	0.000	0.400	0.000	0.400	397.000							
35	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	164.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	164.750							
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	51.100							
36	अतिरिक्त आवंटन का योग	अवतन आवंटन	214.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.250	0.050	0.000	0.000	0.800	0.000	215.850							
		पूर्व का आवंटन	1217.130	0.000	1.500	11.500	11.200	0.800	5.900	1.760	0.000	4.350	11.200	6.350	1271.690							

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया पूरा मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये बारह करोड़ एकहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र

(राजेश कुमार)
उप सचिव (अति.)

(राजेश कुमार)
उप सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव